

कार्यालय-जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा

क्रमांक : प.जि.न्याया./लेखा/नवीन क्रय/फोटोकॉपी/2026-27/17383

दिनांक : 20/07/2026

मै0 THE SYSTEMZ

136, First Floor, CITY PLAZA,

बनी पार्क, जयपुर पिन-302016

दूरभाष नंबर 9829868811

मेल आईडी:- thesystemz@yahoo.co.in

क्रयादेश

RTPP नियम-70

विषय:- कोटा न्यायक्षेत्र में नवसृजित न्यायालयों अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इटावा तथा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांगोद, जिला कोटा के संस्थापन हेतु नवीन आईटम क्रय की निविदा स्वीकार की जाकर फोटो कॉपियर मशीन का आपूर्ति आदेश दिए जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- इस न्यायालय की खुली निविदा सूचना संख्या 03/2026-27 दिनांक 26.05.2026 (UBN No. CJK2627GSOB00003)

विषयानुसार प्रासंगिक निविदा कोटा न्यायक्षेत्र में नवसृजित न्यायालयों अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इटावा तथा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांगोद, जिला कोटा के संस्थापन हेतु नवीन आईटम क्रय के अनुक्रम में आपकी फर्म की फोटो कॉपियर मशीन की निविदा दरें तकनीकी पात्रता कसौटी के अनुरूप उपयुक्त एवं न्यूनतम प्राप्त होने से क्रय समिति द्वारा अनुमोदित एवं सक्षम स्तर से स्वीकृत करने उपरान्त सफल बोली का अधिनिर्णय जारी किया जाकर, निविदा एवं अनुमोदित दर पर निविदा स्पेसिफिकेशन एवं शर्तों के अनुसार कुल राशि रूपए 1,23,982/- अक्षरे रूपए एक लाख तेईस हजार नौ सो ब्यासी मात्र की निम्नांकित विगतनुसार आपूर्ति आदेश RTPP Act-2012 एवं नियम-2013 के प्रावधानानुसार अन्दर 30 दिवस में निम्नांकित विवरण एवं शर्तों के अनुसार करने हेतु जारी किया जाता है:-

क्र. सं.	सामग्री मय स्पेसिफिकेशन	प्रत्येक कोर्ट हेतु मात्रा	दो कोर्ट हेतु मात्रा	स्वीकृत दर प्रति नग मय GST + FOR	प्रत्येक कोर्ट की क्रयादेश राशि	कुल राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	फोटो कॉपियर मशीन Make: SHARP Model: BP-20M22T Printer technology :- laser Type of Machine :- Print, Copy, Scan and Send Paper Input Tray capacity : 2 x500 Sheets Tray, 100 Sheets Bypass Memory (RAM): 1GB (Copy/Print Shared), eMMC 8GB 128Mb and other remaining specifications according to Enclosed Brochures (Minimum One Year Warranty)	1	2	61991/-	61991/-	1,23,982/-	वारंटी एक वर्ष
कुल-अक्षरे एक लाख तेईस हजार नौ सो बियासी रुपये मात्र						1,23,982/-	

आपूर्ति आदेश की शर्त:-

- उपयुक्त सामग्री क्रय समिति द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकृत स्पेसिफिकेशन के अनुसार एवं निविदा की आपूर्ति शर्तों के अनुरूप क्रयादेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर आपूर्ति मय इन्स्टॉलेशन संबंधित न्यायालयों अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा (43824) तथा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांगोद, (43828) जिला कोटा प्रत्येक में 1-1 नग की जाकर भुगतान हेतु बिल नामित न्यायालयों अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा (43824) तथा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांगोद, (43828) जिला कोटा के नाम से दो प्रति में नामित न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा।
- उक्त सामग्री का भुगतान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से प्राप्त बजट स्वीकृति क्रमांक 1253-65 दिनांक 08.05.2026 के अनुसरण में, सम्बन्धित न्यायालयों "अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इटावा, (43824) के लेखाशीर्षक 2014-00-105-02-00 एवं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांगोद, जिला कोटा" (43828) के लेखाशीर्षक 2014-00-105-03-00 की सुसंगत विस्तृत इकाई-05 कार्यालय व्यय (नवीन आईटम) में आवंटित बजट राशि के अधधीन किया जावेगा।
- बोली की विधि मान्यता अवधि RTPP नियम-2013 के नियम-48(1) के अनुसार 90 दिवस तक विधि मान्य होगी तथा RTPP नियम-73(2) के अनुसार अतिरिक्त मदों या परिणाम के लिए पुनरादेश दिया जा सकेगा एवं प्रदाय पूर्ण होने की कालावधि आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। निविदा स्वीकृति के पश्चात् अनुमोदित/स्वीकृत दर 31.03.2027 तक मान्य होगी।
- बोली स्वीकृति की सूचना अथवा क्रयादेश जारी करने की तिथि से सात दिवस में RTPP नियम-70(7) सपठित 76(2) के अनुसार अपेक्षित मूल्य रूपए 500/- के न्यायिकेतर (N.J.) स्टाम्प पर SR प्ररूप-17 (प्रति संलग्न) में एक करार निष्पादित कर, क्रयादेश राशि की लगभग पूर्णांकित 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) राशि 6200/- को जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट "जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा" के पक्ष में प्रस्तुत करना

[Signature]

- होगा। उक्त अवधि आपूर्ति अवधि 30 दिवस में ही शामिल रहेगी। सामग्री की सप्लाई संतोषजनक एवं नियत अवधि में नहीं होने की स्थिति में जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) राशि जब्त करने के दायित्वाधीन होगी।
5. फर्म द्वारा बिड में अंकितानुसार वास्तविक विनिर्माता (मेक) की सामग्री ही आपूर्ति करनी होगी। एसेम्बलड प्रोडक्ट क्रय हेतु स्वीकार नहीं किए जावेंगे। छदम अथवा नकली प्रोडक्ट की आपूर्ति पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
 6. फर्म द्वारा बिल में सामग्री के साथ दी जाने वाली आवश्यक गारंटी/वारंटी का उल्लेख करना होगा।
 7. वर्णित सामान की आपूर्ति बोली स्वीकार करने/क्रयादेश जारी करने की तिथि से 30 दिवस के अन्दर की जावेगी। उक्त अवधि में ही करार निष्पादित करने की अवधि भी शामिल होगी। विहित परिदत्त अवधि में सप्लायर जिन सामानों का प्रदाय करने में असफल रहेगा सा. वि. ले. नियम भाग-II के नियम-58(3) के अनुसार परिनिर्धारित नुकसान (L.D.) की वसूली/कटौती की जावेगी तथा संविदा शर्तों को भंग करने की स्थिति में RTPP नियम-2013 के नियम-42(11) के अनुसार बोली प्रतिभूति (E.M.D.) राशि जब्त करने तथा नियम-76(3) में प्रावधानानुसार सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध RTPP अधिनियम-2012 एवं नियम-2013 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए उपापन संस्था अगले न्यूनतम या लाभप्रद बोली लगाने वाले को आपूर्ति प्रस्ताव देने के लिए स्वतंत्र होगी।
 8. आवश्यक होने पर GST व TDS की कटौती उपापन संस्था/नामित न्यायालय के स्तर पर की जाकर, भुगतान किया जा सकेगा।
 9. उक्त क्रयादेश पर राज. लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम-2013 के समस्त प्रावधान एवं सा. वि. ले. नि. भाग-II के S.R. प्ररूप-16 की समस्त शर्तें यथा उपान्तरण सहित प्रभावी होंगी।
 10. सप्लायर फर्म द्वारा आपूर्ति से सम्बंधित किसी भी प्रकार के संदेह एवं मन्शा का समाधान/स्पष्टता करार पत्र निष्पादित करने से पूर्व उपापन संस्था से किया जा सकता है। इसके पश्चात् किसी भी प्रकार के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकेगा।
 11. फर्म को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। स्पेसिफिकेशन एवं अनुमोदित नमूनों के अनुरूप आपूर्ति की पुष्टि होने के बाद, नामित न्यायालयों अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इटावा, (43824) एवं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांगोद, जिला कोटा (43828) द्वारा ऑन लाइन ECS/NEFT पद्धति से भुगतान बजट उपलब्धता के अध्याधीन फर्म के बैंक खाते में अन्तरित किया जावेगा।
 12. फर्म द्वारा प्रेषित भुगतान बिल पर अथवा अलग से बैंक खाता संख्या, बैंक नाम, IFSC कोड, पेन नम्बर तथा मोबाइल नम्बर इत्यादि की जानकारी उपलब्ध करवानी होगी।
 13. सप्लायर फर्म द्वारा वारंटी अवधि [फोटो कॉपियर मशीन की एक वर्ष] में ऑन साइट स्वस्फूर्त निःशुल्क सर्विस उपलब्ध करवानी होगी।
 14. कार्य सम्पादन प्रतिभूति (SD) वारंटी अवधि विना त्रुटि दायित्व के संतोषप्रद रूप से समाप्त होने पर लौटाई जावेगी।
 15. समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र कोटा मुख्यालय होगा।
संलग्न-करार पत्र (SR-17)

Dharamraj 20-07-2026
अध्यक्ष, उपापन समिति

जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा

क्रमांक : प.जि.न्याया./लेखा/नवीन क्रय/फोटोकॉपी/2026-27/17384-17394 दिनांक: 20/07/2026
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर (राजस्थान) को उनसे प्राप्त बजट आवंटन पत्र क्रमांक 1253-65 दिनांक 08.05.2026 के अनुसरण में।
2. सम्बन्धित न्यायालयों अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा तथा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांगोद, जिला कोटा को क्रयादेश में अंकित मात्रानुसार आपूर्ति, सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म से यथासमय प्राप्त कर, माल प्राप्ति की पुष्टि जिला न्यायालय, कोटा को भिजवाकर आपूर्तिकर्ता फर्म को अपने न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा (43824) के लेखाशीर्षक 2014-00-105-02-00 तथा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांगोद, (43828) जिला कोटा के लेखाशीर्षक 2014-00-105-03-00 को सुसंगत विस्तृत इकाई-05 कार्यालय व्यय में इस प्रयोजन (नवीन आईटम) हेतु प्राप्त बजट से अपने स्तर से यथासमय भुगतान सुनिश्चित करने हेतु।
3. प्रभारी अधिकारी (नजारत) जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा को अपने स्तर से उचित हस्तक्षेप कर आपूर्तिकर्ता फर्म से यथासमय क्रयादेश में अंकित स्पेसिफिकेशन एवं मात्रानुसार वांछित [फोटो कॉपियर मशीन] मद की आपूर्ति सम्बन्धित न्यायालयों "अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इटावा एवं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांगोद, जिला कोटा" को यथासमय हस्तगत करवाने हेतु।
4. प्रभारी अधिकारी, (स्थापना)/(लेखा), जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, कोटा/उपकोषाधिकारी, पीपल्स/उपकोषाधिकारी, सांगोद।
6. सिस्टम ऑफिसर/सहायक लेखाधिकारी-II, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा को उक्त क्रयादेश मय तुलनात्मक विवरण पत्र विभागीय वेबसाइट व S.P.P.P. पोर्टल पर अपलोड कर पुष्टि उपलब्ध करवाने हेतु।

Dharamraj 20-07-2026
अध्यक्ष, उपापन समिति

जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा